




DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 52-53

Date : 19/9/18

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

HARI KRISHAN (LILU)
Vice-President
9212442834

SITARAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Treasurer
9871420213

सेवा में,

श्री मोहनजीत सिंह, IAS

प्रधान सचिव एवं आयुक्त

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

के- ब्लॉक, विकास भवन, आई टी ओ, नई दिल्ली-

विषय:-दिनांक 25 सितंबर 2018, मंगलवार को " जेल भरो आंदोलन" में शामिल होने हेतु दिल्ली के उचित दर दुकानदारों द्वारा सामुहिक बंद की सुचना।

श्रीमान जी,

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन (पंजी) के आह्वान पर "जेल भरो आंदोलन" में शामिल होने हेतु देश के विभिन्न राज्यों से लाखों राशन डीलर अपनी सम्मानित रोजी रोटी के हक के लिये दिनांक 25 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे। इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली(DSRDS-DELHI) ने भी दिल्ली के राशन डीलर की पूर्व लम्बित मांगों के समर्थन में उपरोक्त आंदोलन में शामिल होने का निर्णय किया है।

DSRDS द्वारा दिल्ली सरकार और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से बार की गई विभिन्न मांगों निम्नलिखित हैं:-

1. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राशन (गेहूं, चावल, चीनी) पर राशन डीलर का कमीशन कम से कम 2 रुपया 80 पैसे प्रति किलो सरकार द्वारा अविलम्ब निर्धारित किया जाना चाहिये। गौरतलब हो कि, दिल्ली में 1 जनवरी 2018 से ई-पास/बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण करने पर दिल्ली सरकार द्वारा यह कमीशन 2 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा था, लेकिन दिल्ली

Continu - - 2



DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 52-53

Date: 19/9/18

- 2 -

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213

सरकार द्वारा अचानक 25 अप्रैल 2018 को बायोमेट्रिक प्रणाली बन्द कर पूर्व की भांति मैनुअल वितरण पर यह कमीशन वापिस 70 पैसे किलो कर दिया गया।

2. दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 (NATIONAL FOOD SECURITY ACT-2013) के तहत, 1 सितंबर 2013 से दिल्ली के राशन डीलर राशन वितरण कर रहे हैं। 1 सितंबर 2013 से 31 अगस्त 2014 (एक वर्ष) तक दिल्ली सरकार द्वारा मात्र 35 पैसे प्रति किलो कमीशन दिल्ली के राशन डीलर को दिया गया, जबकि केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 17 अगस्त 2015 के अनुसार भारत के सामान्य राज्यों के लिये निर्धारित राशन डीलर का यह कमीशन 70 पैसे प्रति किलो NFS के तहत किये गये आवंटन से लागू है। इस संदर्भ में DSRDS ने कई बार मौखिक और लिखित रूप में विभाग और दिल्ली सरकार को अवगत कराया। नतीजा अभी तक ज़ीरो रहा है।

3. दिल्ली में, E-POS/बायोमेट्रिक प्रणाली को पुनः बहाल कर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारदर्शी प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाना चाहिए।

4. दिल्ली में, राशन डीलर्स के मासिक कोटे की मात्रा को एक समान किया जाना चाहिए इस सन्दर्भ में DSRDS ने सरकार तथा विभाग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत भी कराया, इसके अलावा जिन दुकानों पर कोटे की मात्रा 100 क्विंटल से कम है उन्हें पूर्व की भांति दूसरे क्षेत्र में, जहाँ पर नई राशन दूकान की जरूरत है, वहाँ पर शिफ्ट करने के आदेश अथवा प्राथमिकता दी जाए।


5. केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत राशन की आपूर्ति को राशन की दुकान पर निशुल्क पहुँचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है! लेकिन दिल्ली में, आज भी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर (TC) की लेबर द्वारा राशन की

Continued - 3



DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com
Website : www.dsrdsdelhi.com
Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 52-53

Date : 19/9/18

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BHLARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

HARI KRISHAN (LILU)
Vice-President
9212442834

SITARAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Treasurer
9871420213

- 3 -

अनलोडिंग करते समय 10 रुपये प्रति क्विंटल अवैध रूप से वसूले जाते हैं, जिससे लगभग 35 लाख रुपये प्रतिमाह दिल्ली के राशन दुकानदारों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है! यह राशी बिना किसी कर (GST) के वसूली जाती है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचता है! इस संदर्भ में भी DSRDS ने कई बार मौखिक और लिखित रूप में विभाग और दिल्ली सरकार को अवगत कराया। नतीजा अभी तक ज़ीरो रहा है और आज भी लेबर की मनमानी चल रही है! इस सम्बन्ध में विभाग को ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए भारी जुर्माने लगाना चाहिए, जिससे उपरोक्त अवैध वसूली से निजात मिल सके।

6. विभाग के द्वारा डोर टू डोर सर्वे में कार्डधारी को खोज ना पाने की स्थिति में मात्र केवल शक के आधार पर केवल दुकानदारों को दोषी मानकर कार्यवाही करना बन्द करे, और जिन दुकानों पर केवल शक के आधार पर कार्यवाही की गई है उन राशन दुकानों की सुनवाई करके बहाल कर.

DSRDS सरकार तथा विभाग से अनुरोध करता है कि उपरोक्त लंबित मांगों पर जल्द-से-जल्द संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे.

सधन्यवाद

निवेदक
शिव कुमार गर्ग
(अध्यक्ष)

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश



प्रतिलिपि:

(1) माननीय श्री इमरान हुसैन, खाद्य मंत्री दिल्ली सरकार, दिल्ली